आवश्यक

संख्या:50/2018/3784/12-2-2018-एफ.42/2001

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2018

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था कराने, उर्वरकों के वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैश-मेमो/पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में तस्करी किए जाने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शासन की प्राथमिकता है। अत: कृपया जनपद में उपलब्ध होने वाले उर्वरकों का वितरण समुचित रूप से कराते हुए वितरण की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था प्रणाली में उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की साप्ताहिक मानीटरिंग सुनिश्चित की जाय।

(2) उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने एवं निर्धारित मूल्य पर प्वाइंट ऑफ सेल (पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की शतप्रतिशत बिक्री करायी जाये तथा कृषकों को कैश मेमो भी उपलब्ध कराया जाय। विशेष कर डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरकों, जिनके कई बिक्री दरों के स्टाक उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध हैं, उसकी बिक्री हेतु सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बोरी पर अंकित खुदरा विक्रय दर से अधिक दर पर उर्वरकों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 की सुसंगत पाविधानों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

(3) प्रदायकर्ताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को उर्वरकों की एफ0ओ0आर0 (Freight on Receipt) आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाय कि थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेता को जारी इन्वाइस में फ्रेट की धनराशि का स्पष्ट अंकन हो तथा जनपदीय अधिकारियों को स्थलीय भ्रमण के समय फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण कर इन्वाइस में फ्रेट की धनराशि अंकलन का सत्यापन करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश दिये जायें।

(4) अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में सतर्कत दृष्टि रखने की आवश्यकता है। भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 10 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्रों के निर्गमन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अत: यह सुनिश्चित किया जाये कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र किसी भी दशा में क्रियाशील न रहे।

(5) उर्वरक विक्रेता कृषकों को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, ए0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पादन भी खरीदने हेतु यदि बाध्य किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत प्राविधनों के अन्तर्गत तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ताओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाय जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु भी बाध्य किया जाता है। बाध्यता की पुष्टि होने पर संबंधित उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता के विरूद्ध भी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय क्योंकि इस प्रकार के कम प्रचलित उर्वरक टैग किए जाने एवं उनका समय से विक्रय न होने के कारण प्रमुख उर्वरकों के मूल्य प्रभावित होते हैं और कालाबाजारी को बढावा मिलता है।

(6) कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाय ताकि मंहगे उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

(7) उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर क्रेता कृषक का विवरण रखा जाय और विक्रेता द्वारा कैश मेमों क्रेता कृषक को निर्धारित प्रारूप पर अवश्य निर्गत किया जाय। दर्शाये गये क्रेता किसानों का रेण्डम आधार पर सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाय ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:50/2018/3784(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थायें, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।